


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>रामस्वरूप बनाम</b>  <b>लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण) जोधपुर ग्रामीण)</b>  सू.अ. अपील संख्या 59/2024</p>	<p>न. व तारीख  अहकाम जो  इस हुक्म  की तारीख  में जारी हुए</p>
<p>07/06/2024</p>	<p>अपीलार्थी रामस्वरूप निवासी 88 माहेश्वरियों का वास, तेना, शेरगढ, जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2024 में अशोककुमार उर्फ देवीलाल पुत्र मगराज उर्फ आजाराम व रामस्वरूप पुत्र मगराज उर्फ आजाराम द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 42/2019 की सम्पूर्ण सत्य प्रतिलिपियां एवं अन्य बिन्दुओं पर सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर ग्रामीण) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर ग्रामीण) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर ग्रामीण) ने जरिये पत्रांक 233 दिनांक 14.05.2024 द्वारा बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जरिये पत्रांक 232 दिनांक 14.05.2024 को निःशुल्क प्रेषित की गई।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई से सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   (गौरव अग्रवाल)  जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण </p>	